



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-31032020-218974  
CG-MH-E-31032020-218974

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942

No. 144]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(मानव संसाधन विभाग)

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 27 मार्च, 2020

एफ. सं. सीओईआरडी:1073:2020 (ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श कर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मण्डल ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र में रोजगार की स्वीकृति) विनियम, 2000 में निम्न संशोधन किए गए हैं अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी (सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र में रोजगार की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 2000 नाम से जाना जाएगा.  
(2) ये संशोधन सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र में रोजगार की स्वीकृति) विनियम, 2000 में :-  
(i) विनियम 4 में, उप-विनियम (6) के लिए, निम्न उप-विनियम को शामिल किया जाएगा:  
"6. इन विनियमों के तहत, बैंक द्वारा जारी प्रत्येक आदेश से संबंधित पक्ष को अवगत करवाया जाएगा."  
(ii) विनियम 4 के बाद, निम्न विनियम को जोड़ा जाएगा :  
"5. सक्षम प्राधिकारी :-विनियम 4 के अधीन, अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रोजगार लेने के लिए स्वीकृति प्रदान करने या अस्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्न तालिका के अनुसार होंगे:

## तालिका

| स्तर                                                                                                                                                                 | सक्षम प्राधिकारी                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                  | (2)                                     |
| कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I/सहायक प्रबंधक<br>मध्यम प्रबंधन ग्रेड स्केल-II और III में अधिकारी/<br>प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक<br>वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-IV/मुख्य प्रबंधक | महाप्रबंधक या उनसे ऊपर के कोई अधिकारी   |
| वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-V/सहायक महाप्रबंधक<br>उच्च कार्यपालक स्केल-VI/उप महाप्रबंधक                                                                                     | मानव संसाधन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक |
| उच्च कार्यपालक स्केल-VII/महाप्रबंधक<br>उच्च कार्यपालक स्केल-VIII/मुख्य महाप्रबंधक                                                                                    | एमडी एवं सीईओ                           |

एस. के. महापात्रा, क्षेत्र महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./528/19]

नोट : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र क्र. 53 दिनांक 30.12.2000 को प्रकाशित किए गए थे.

**UNION BANK OF INDIA**  
**(Human Resource Department)**  
**(CENTRAL OFFICE)**  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 27th March, 2020

**F. No. CO:ERD:1073:2020(E).**—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Union Bank of India after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Union Bank of India Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns After Retirement) Regulations 2000, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Union Bank of India Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns After Retirement) Amendment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Union Bank of India Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns After Retirement) Regulations, 2000,—
  - (i) in regulation 4, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—
 

“6. Every order passed by the Bank under these regulations shall be communicated to the person concerned.”;
  - (ii) after regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely:
 

“5. Competent Authority.— The Competent Authority for granting or refusing permission for taking up any commercial employment after retirement of officer employee under regulation 4 shall be as given in the table below:—

TABLE

| LEVEL                                                                                                                                                                                                     | COMPETENT AUTHORITY                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                       | (2)                                             |
| Junior Management Grade Scale-I/ Asstt. Managers<br><br>Officers in Middle Management Grade Scale-II and III/<br>Managers and Senior Managers<br><br>Senior Management Grade Scale-IV /<br>Chief Managers | General Manager or any Authority above him      |
| Senior Management Grade Scale-V /<br>Asst. General Managers<br><br>Top Executive Grade Scale-VI /<br>Dy. General Managers                                                                                 | Executive Director heading HR                   |
| Top Executive Grade Scale-VII /<br>General Managers<br><br>Top Executive Grade Scale-VIII /<br>Chief General Managers                                                                                     | Managing Director and Chief Executive Officer”. |

S. K. MOHAPATRA, Field General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./528/19]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India No. 53 on 30.12.2000.